भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1288

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष उत्पादों को बढ़ावा देना

1288. श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आयुष उत्पादों हेतु झूठे और भ्रामक विज्ञापनों की जगह कोई वैकल्पिक प्रावधान किए बिना उनसे संबंधित नियम की प्रयोज्यता को उलट दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष को शामिल करने के बारे में पूछताछ की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की उक्त योजना के अंतर्गत आयुष को शामिल करने की मंशा है; और

(ङ) इस चिकित्सा क्षेत्र में नौकरियों की कमी और चिकित्सीय पद्धति में जन विश्वास की कमी के तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आयुष स्नातकों हेतु रोजगार में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): भारत सरकार ने आयुष उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन के संबंध में निम्नलिखित पहलें की है -

(i) औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और इसके तहत नियमों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देने वाले आयुष दवाओं सहित दवाओं और औषधीय पदार्थों के भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों पर रोक लगाने के प्रावधान शामिल हैं और सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने का अधिकार है।

(ii) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने 15वें वित्त चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान आयुष दवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फार्माकोविजिलेंस पहल की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, आयुष के केंद्रीय औषधि नियंत्रक और एएसयू एंड एच दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण तथा मानकीकरण की सुविधा हेतु कुछ नए तत्वों को शामिल करना, आयुष औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रमाणन/प्रत्यायन और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियाँ, को मिलाकर, केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) शुरू की है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय के केंद्रीय क्षेत्र योजना 'आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना' (एओजीयूएसवाई योजना) के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में आयुर्वेद, सिद्ध,

यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) दवाओं के लिए फार्माकोविजिलेंस केंद्र स्थापित किए गए हैं, इन्हें भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करने और संबंधित राज्य नियामक प्राधिकरणों को सूचित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। आयुष मंत्रालय ने पूरे देश में स्थित भेषजसतर्कता केंद्रों का 3 स्तरीय नेटवर्क स्थापित किया है- 1-नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर (एनपीवीसी), 5-इंटरमीडियरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर (आईपीवीसी) और 99-पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर (पीपीवीसी)। फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम के तहत आपत्तिजनक/भ्रामक विज्ञापनों की नियमित रूप से संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को सूचना दी जा रही है।

(iii) उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) भ्रामक विज्ञापनों के विरूद्ध शिकायत (जीएएमए) पोर्टल का अनुरक्षण करता है, जो भ्रामक विज्ञापनों के मामलों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा, चूंकि टीवी चैनलों का विनियमन और प्रवर्तन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी) के कार्यक्षेत्र में आता हैं, इसलिए टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले भ्रामक विज्ञापनों के संदर्भ, कार्रवाई के लिए एमओआईबी को भेजे जाते हैं।

(ग) और (घ): प्रतिवादी के रूप में, आयुष मंत्रालय को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका (सी) पीआईएल संख्या 2023 का 14289 प्राप्त हुई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने आयुष पद्धतियों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) स्कीम के तहत शामिल करने की प्रार्थना की है और मामला अभी भी दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करके आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) में आयुष हस्तक्षेप को शामिल करने के प्रयास शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्वास्थ्य बीमा योजना में आयुष उपचार पैकेजों को शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है ताकि लाभार्थी एबी-पीएमजेएवाई के तहत आयुष पद्धतियों के ऐसे उपचार पैकेजों का लाभ उठा सकें।

(ङ): आयुष स्नातकों के लिए रोजगार में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) विशेष रूप से एएसयूएस कॉलेजों के साथ शिक्षा, अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जिनके साथ संबद्ध शिक्षण अस्पताल हैं। एएसयूएस महाविद्यालयों के माध्यम से, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा (एएसयूएस) स्नातकों को शिक्षण, अभ्यास और अनुसंधान करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) एनआई-एमएसएमई हैदराबाद के सहयोग से एएसयूएस कॉलेजों के समन्वयकों के लिए एक "उद्यमिता विकास" प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर रहा है।

(ii) होम्योपैथी स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, मसौदा विनियमन में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथिक महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 प्रत्येक होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान में फैकल्टी की आवश्यकता को न्यूनतम 28 से बढ़ाकर 40 करता है। इस पहल का उद्देश्य होम्योपैथी बिरादरी के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करना है।

*****